राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 11(8)/ग्रावि./नरेगा/पद सृजन/2010 पार्ट–I जयपुर दिनांक 13 OCT 2014

कार्यालय आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.07.2014 के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर गठित राजस्थान ग्रामीण रोजगार गांरटी परिषद तथा सभी जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों में संविदा/प्रतिनियुक्ति पर सृजित पदों पर पहले से प्रतिनियुक्त एवं संविदा कार्मिकों की समयावधि निरन्तर जारी रखते हुये दिनांक 30.09.2014 तक बढायी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केवल कार्यरत संविदा/प्रतिनियुक्ति पदों की समयावधि दिनांक 28.02.2015 तक बढाये जाने की स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 101402434 दिनांक 10.09.2014 एवं 101403704 दिनांक 01.10.2014 द्वारा निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की गयी है :–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यरत संविदा कार्मिकों की संख्या की कार्य की आवश्यकतानुसार समीक्षा की जावे।
2. महात्मा गांधी नरेगा योजना की कियान्विति के लिए आवश्यक संविदाकर्मियों, जिनकी 5 वर्ष की सेवाएं पूर्ण हो चुकी है, उन्हें नये अनुबन्ध पर नियोजित किया जावे।
3. महात्मा गांधी नरेगा योजना में पूर्व में नियोजित संविदा कार्मिकों को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 में दिये गये नये अनुबन्ध में नियोजित किये जाने पर मानदेय राशि पूर्व में प्राप्त मानदेय के अनुसार रखी जाये।
4. महात्मा गांधी नरेगा योजना में जिन कार्मिकों की 5 वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी हो, उनको पांचवें वर्ष में देय पारिश्रमिक के आधार पर नये अनुबन्धों पर नियुक्ति किये जाने पर पारिश्रमिक राशि के अतिरिक्त नई पेंशन योजना के अंशदान एवं कर्मचारी को देय ग्रेच्यूटी की राशि भी वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 के अनुसार देय होगी। जिसका अतिरिक्त वित्तीय भार महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए स्वीकृत प्रशासनिक व्यय सीमा से अधिक होने के कारण राज्य सरकार पर पडेगा। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मानदेय में अधिकतम 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान रखा जावे।
5. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सृजित पद जिन पर अभी नियुक्ति नहीं हुई है, उन शेष पदों पर नियुक्ति नहीं की जावे एवं नियमित पदों के स्थान पर पुनः संविदा पदों का सृजन करावें।
6. वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि से अनुमत 6 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय की सीमा में व्यय सीमित रखा जावे।

7. प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमत 6 प्रतिशत राशि से आधिक्य व्यय राज्य मद से दिया जाना संभव नहीं हो सकेगा। अतः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत पदों की Functional Requirement के आधार पर समीक्षा कर व्यय सीमित करना सुनिश्चित करें।

अतः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत केवल कार्यरत संविदा/प्रतिनियुक्ति पदों की समयावधि दिनांक 28.02.2015 तक उपरोक्त शर्तों के अध्यधीन बढाई जाती है।

नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के 30.09.2014 तक की अवधि के कार्यों का मूल्यांकन करने के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्ण संतुष्टि होने पर ही इनकी अनुबन्ध अवधि 28.02.2015 तक बढाई जाने की कार्यवाही की जावे।

12/10/14

(राजीव सिंह ठाकुर)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुंक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
6. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास विभाग।
7. परि.निदे.एवं उप सचिव, ईजीएस।
8. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) ईजीएस।
9. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास (अनुभाग–1) विभाग, जयपुर।
13. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
14. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस